

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक:- प्र०1/ज०शि०को०सूचना-71/2016 35

पटना, दिनांक- 19/09/2016

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ श्री बीरेन्द्र कुमार ओझा, प्रशाखा पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोदा नन्द झा),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-.....

/दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सूचना आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-..... 2811

/दिनांक:-..... 19/09/2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप, सचिव/आई० टी० मैनेजर/श्री बीरेन्द्र कुमार ओझा, प्रशाखा पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।